न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 87/2021
GCMSNo.- : 2021/200

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

वादी	प्रतिवादीगण
1. डालचन्द पुत्र छीतरमल जाति–भांबी 2/28, गडडी थोरियान, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।(राज.)	1. बुधा बाई पत्नि रेवंताराम कौम नायक सा.ढाणी भीवगढ 2. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

दावा बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.27/07/2021

उपस्थितः. 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 26/05/2022

वकील मय वादीगण ने राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 2106 रकबा 0.5747 हैक्टेयर किस्म सेवज अव्वल, किस्म सेवज अव्वल की आई हुई है उक्त खसरे की भूमि में वादी3/4 हिस्से यानि 0.4310 हैक्टेयर भूमि पर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त है मगर वादी व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि एक खाते के रुप में शामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई है। मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम की हुई नहीं है। तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 की व नक्शा ट्रेसकी प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंट[illegible] ही रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम [illegible] हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व क[illegible] मुतालिक तमाम [illegible] करते आ रहे है, परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे स[illegible]माती दर्ज होने से [illegible] दिन प्रतिवादीगण वादीके साथ उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादी की खन्दक/मेडबन्दी तारबन्दी को तोड फोडकर देते है एवं वादी को हर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:00:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

समय उनके हक हिस्से की भुमि से बेदखल करने पर आमादा रहते है। जबकि मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं मनागना काश्त करते चले आ रहे है। वादी की वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि 3/4 हिस्से यानि 0.4310 हैक्टेयरभूमि मौके पर बंटी हुई है। वादीका अलग सें कब्जा व काश्त है वादी ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकासमा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम करने का तकास्मा करवाने का कहा मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होने बंटवाडा करवाने सें दिनांक 15.07.2021 को मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है वादी अपनी भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाने का अधिकारी है इसलिए दावा तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। बाद तकास्मा आराजी वादीअपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग, उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने के अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलादांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है, प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीको बार बार फौजदारी मुकदमें करने पडगे। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिंडिग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार रेवताराम पुत्र पुनाराम वर्तमान मे देहान्त हो चुका है। परन्तु उसके उतराधिकारी का राजस्व रेकर्ड मे फौतेगी मुटेशन के जरिये इन्द्राज नही किया गया है। इसलिए प्रतिवादी सं.1 मृतक रेवताराम पुत्र पुनाराम की एकमात्र उतराधिकारी है। जिसको पक्षकार प्रतिवादी 1 बनाकर यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार साहब, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जो बंटवाडे के वाद मे आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नही चाही गई है। बिनाय दावा दिनांक 15.07.2021 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने एवं बिना बंटवाडा करवाये सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण करने एवं वादी को उनके हक हिस्से व कब्जे की भुमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम श्रीमान (राज.) तहसील जैतारण जिला पाली में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन्

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:00:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

तामील/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। बहस वकील वादी की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा ग्राम भीवगढ़ सम्वत् 2076-2079 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण बाकबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 2106 रकबा 0.5747 हैक्टेयर वादी के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा भींवगढ़ पटवार हल्का रास के खसरा नम्बर 2106 रकबा 0.5747 हैक्टर किस्म सेवज अव्वल भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/972 दिनांक 21/10/2021 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण के पत्रांक/भू.अ./2022/3301 दिनांक 13/05/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा भींवगढ पटवार हल्का रास II के खसरा नम्बर 2106 रकबा 0.5747 हैक्टर किस्म सेवज अव्वल की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान
1.	डालचंद पुत्र छीतरमल जाति भाम्बी निवासी 2728 गढडी थोरियन राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ब्यावर जिला अजमेर खातेदार	2106	0.4310	सेवल अव्वल	0.43

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:00:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

योग	1	0.4310		0.43
बुधाबाई पत्नी रेवतराम जाति नायक सा. ढाणी भींवगढ खातेदार	2106/1	0.1437	सेजल अव्वल	0.14
योग	1	0.1437		0.14

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला पाली

निर्णय आज दिनॉक **26/05/2022** को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:00:23 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री बमुकदर्मे इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- **सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण**
बईजलास :- **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०**

-: वादी :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

1. डालचन्द पुत्र छीतरमल जाति-भांबी 2/28, गडडी थोरियान, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।(राज.)

1. बुधा बाई पत्नि रेवंताराम कौम नायक सा.ढाणी भीवगढ
2. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 87/2021

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं सरहद मौजा भींवगढ पटवार हल्का रास11के खसरा नम्बर 2106 रकबा 0.5747 हैक्टर किस्म सेवज अव्वल की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान
1.	डालचंद पुत्र छीतरमल जाति भाम्बी निवासी 2/28 गडडी थोरियन राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ब्यावर जिला अजमेर खातेदार	2106	0.4310	सेवल अव्वल	0.43
	योग	1	0.4310		0.43
2.	बुधाबाई पत्नी रेवतराम जाति नायक सा. ढाणी भींवगढ खातेदार	2106/1	0.1437	सेजल अव्वल	0.14
	योग	1	0.1437		0.14

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ... तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेखा भण्डार जमा हो।

खर्चा ......-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शरह .... -......फीसदी सालाना आज की तारीख वसूल बाकी तक .....-......को अदा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:00:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 26/05/2022 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03-00	स्टाम्प वकालतनामा	/
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील	/	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	01-00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः-	05-00	मिजानः-	—Nil—

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:00:23 IST
Reason: SelfAttested